

तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को बिना किसी अपव्यय या धन के विचलन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। यह अध्याय राज्य शासन की आबंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप-डाउन दृष्टीकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है।

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और किसी भी हाल के घटनाक्रम जो संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेंडर शामिल है। इसके साथ जेण्डर और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए हैं।

➤ इसके बाद, वित्त विभाग भारत के निति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया गया है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने पर, वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिसमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य शासन ने 28 योजनाओं के लिए ₹3,674.84 करोड़ प्रावधानित किया (मूल बजट ₹3,437.08 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹237.72 करोड़) जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं हेतु है। कुल बजट ₹3,674.84 करोड़ में से, केवल ₹2,247.67 करोड़ (61.16 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और ₹1,427.17 करोड़ (38.84 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्णविनियोजित किया गया था। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिखाया गया है।

बजट प्रावधान ₹12,250.94 करोड़, 105 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षो या उद्देश्य शीर्षो का विवरण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने 59 योजनाओं के लिए ₹5,574.00 करोड़ (मूल बजट का ₹4,911.43 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹662.57 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹5,574.00 करोड़ के कुल बजट में से ₹4,239.69 करोड़ (76.06 प्रतिशत) का व्यय हुआ था और ₹1,334.32 करोड़ (23.94 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया था या पूर्णविनियोजित किया गया था, विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹1,183.32 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार, युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों¹ के तहत 260 योजनाओं के लिए ₹24,574.78 करोड़ मूल बजट ₹21,679.69 करोड़ का और अनुपूरक बजट ₹2,895.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया। कुल बजट में से ₹15,389.00 करोड़ (62.62 प्रतिशत) के व्यय और ₹9,185.78 करोड़ (37.38 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्वविनियोजित किया गया।

3.3.4 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, शासन ने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 57 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषण की। नई योजनाओं (एक करोड़ और उससे अधिक) के संबंध में, शासन के कुल ₹621.83 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें से वर्ष के दौरान कोई भी व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक व्यय भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार व्यय किया गया है कि व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2019-20 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामिण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामिण उद्योग विभाग

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत	आधिक्य	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	74,362.81	9,390.82	83,753.63	68,865.38	-15,533.91 (18.55)	645.66 (0.77)	-15,133.44 (97.42)
	पूँजीगत परिव्यय	13,101.83	973.09	14,074.92	8,976.29	-5,098.63 (36.22)	0.00	-3,851.72 (75.54)
	ऋण तथा अग्रिमों	249.16	0.10	249.26	99.65	-149.61 (60.02)	0.00	-149.45 (99.90)
कुल दत्तमत		87,713.80	10,364.01	98,077.81	77,941.32	-20,782.15 (21.19)	645.66 (0.66)	-19,134.61 (92.07)
भारित	राजस्व	5,248.66	621.39	5,870.05	5,578.48	-540.07 (9.20)	248.50 (4.23)	-42.62 (7.89)
	पूँजीगत	30.49	28.59	59.08	46.50	-12.58 (21.30)	0.00	-1.49 (11.84)
	लेक ऋण	2,906.50	0.00	2,906.50	8,695.03	0.00	5,788.53 (199.15)	-629.03
कुल भारित		8,185.65	649.98	8,835.63	14,320.01	-552.65 (6.25)	6,037.03 (68.33)	-673.14 (121.80)
कुल योग		95,899.45	11,013.99	1,06,913.44	92,261.33	-21,334.80 (19.96)	6,682.69 (6.25)	-19,807.75 (92.84)


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019-20

कुल बचत ₹21,334.80 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 19.96 प्रतिशत) थी, जिसमें से, ₹19,807.75 करोड़ समर्पित किया गया था और ₹1,527.05 करोड़ (7.16 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंत में व्यय हो गया था। कुल समर्पित राशि ₹19,807.75 करोड़ में से, ₹19,167.81 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2020 को समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चूंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹11,013.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ। आगे विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान ₹19,807.75 करोड़ की राशि का समर्पण किया गया। इस राशि में से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत ₹6,442.01 करोड़ राज्य शासन के द्वारा जारी ही नहीं किये गये थे।

3.4.2 बजटीय निधि का उप-युक्ततम उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय धन का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विगत पाँच वर्षों के दौरान बजट के उपयोग में प्रवृत्ति वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2015-16 में 73.12 प्रतिशत से वर्ष 2019-20 में 86.30 प्रतिशत तक बढ़ा है। बजटीय प्रावधान पिछले वर्षों के तुलना में पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों के संवितरण का बजट अनुमान का आकार छोटा होने के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान बजट का उत्तम उपयोग हुआ। आगे अनुपूरक प्रावधान (बजट प्रावधान का 11.48 प्रतिशत) भी पिछले वर्ष (बजट प्रावधान का 20.24 प्रतिशत) की तुलना में कम हुआ।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही राज्य के समेकित कोष से कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹6,678.35 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय
6003-112-विशेष आहरण सुविधा-91 दिवस के जमा पर	6,658.68
6004-09-101-3052-ब्लॉक कर्ज	19.67
कुल	6,678.35

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019-20

3.5.2 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएस)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिस उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड-एक की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत अनुभाग में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मुख्यतः किसी सामग्री और स्थानीय चरित्र की बढ़ती हुई ठोस संपत्ति के उद्देश्य के साथ व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थाओं को अनुदान सहायता में व्यय, संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थाओं के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेषतः अधिकृत प्रकरणों को छोड़कर, पूँजीगत शीर्ष लेखे में नामे किया जायेगा।


वर्ष 2019-20 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रदान किए गए ₹1,939.61 करोड़ के अनुदान और वर्गीकृत अनुदान का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, कार्यालय का व्यय ₹0.75 करोड़, ₹8.56 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, और ₹0.29 करोड़ के रख-रखाव कार्य को राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत नियत किया गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,265.85	1,432.94	2,359.39	1,998.74	1,939.61
कुल पूँजीगत व्यय	7,945.01	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश	15.93	15.13	23.59	22.45	22.64

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग लेखे

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधान मण्डल के ₹11,014.00 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 45 अनुदान/विनियोग से संबंधित 35 मामलों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹5,788.81 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय इससे कम था मूल प्रावधान परिशिष्ट 3.4 में दिखाए गए हैं।

कुल 16 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये भले ही बचत ₹100 करोड़ और मूल बजट प्रावधान से अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान के बाहर बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
3	पुलिस	4,438.07	4,299.28	-138.80	162.79
8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	901.88	709.53	-192.35	7.79
13	कृषि	3,972.10	1,561.32	-2,410.78	720.90
24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	1,321.17	677.23	-643.94	11.50
30	पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग	2,696.97	1,906.11	-790.86	250.11
41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	14,737.07	13,020.67	-1,716.40	2,297.14
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	361.22	250.77	-110.45	11.22
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,050.50	760.57	-289.92	128.24
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	4,969.68	4,419.79	-549.88	836.24
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	946.24	387.14	-559.10	216.60
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	539.88	-168.64	13.60
	कुल राजस्व दत्तमत	36,103.42	28,532.29	-7,571.12	4,656.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	281.50	147.33	-134.17	21.10
21	अवास एवं पर्यावरण विभाग	366.42	193.74	-172.68	4.81
23	जल संसाधन विभाग	461.09	287.37	-173.72	9.00
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,809.47	2,093.08	-716.39	312.68
45	लघु सिंचाई कार्य	345.51	231.66	-113.85	10.00
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	1,148.73	620.72	-528.01	67.35
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	668.35	267.73	-400.62	7.23
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	75.59	-100.15	80.70
	कुल पूँजीगत दत्तमत	6,256.81	3,917.22	-2,339.59	512.87
	कुल योग	42,360.23	32,449.51	-9,910.71	5,169.00

स्रोत : विनियोग लेखे 2019-20

3.5.4 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में अनुदान में एक इकाई (जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है), दूसरी इकाई को (जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है), धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत कुल 358 पुनर्विनियोजन में से, तीन अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित छह मामलों में, पुनर्विनियोग के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.5 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.5: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन- विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक्य (+) /कमी (-)
01-2012-03-107-8694-केन्द्रीय निवास की सजावट और मरम्मत	0.08	0.00	0.02	0.10	0.05	-0.05
58-2245-80-800-7727-फिट संक्रमण से बचाव	0.06	0.00	0.11	0.17	0.04	-0.12
67-2059-80-01-0101-3566-मुख्यालय की स्थापना	30.60	0.00	1.00	31.60	24.77	-6.83
67-2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.90	0.00	0.80	1.70	0.37	-1.33
67-4059-01-51-0101-7274-लोक अभियोजन	0.68	0.00	0.10	0.78	0.50	-0.28
CH-1-6003-108-3751-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	0.17	0.00	4.78	4.95	0.17	-4.78

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019-20

3.5.5 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

68 मामलों में, 20 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के लिए (₹10 करोड़ और उससे अधिक) तक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹4,277.85 करोड़ अप्रयुक्त रहें। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण मामले, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के विना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.6 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.6: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

नाम	कुल प्रावधान
CH1-6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम	660.00
10-2406-04-103-7992-प्रतिकात्मक वन वृक्षारोपन निधि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण	500.00
69-2217-80-191-7685-स्मार्ट सिटी	396.00
25-4853-01-004-7794-यातायात नेटवर्क (रेल मार्ग)	317.45
25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में स्थानान्तरण	300.00
CH1-6003-110-779-कमियों के पूर्ति के लिये अग्रिमों	264.51
CH2-2049-01-101-2199-नवीन बाजार ऋण	250.00
41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03
40-4705-209-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	115.52

3.5.6 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹21,334.80 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 29 अनुदानों के अंतर्गत हुई, ₹19,558.10 करोड़ की राशि, जो कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत रूप में वर्ष के दौरान समग्र बचत का 90 प्रतिशत है, जिसमें से आठ मामलों में छः अनुदानों के तहत बचत ₹500 करोड़ से अधिक थी जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, 55 अनुदानों में किए ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण की राशि अनुमानित ₹19,757.85 करोड़ है जो कि परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत हैं।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से 11 अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2019-20 में बचत ज्यादा हुई। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक 11 अनुदानों/विनियोजनों में बजट प्रावधानों का उपयोग तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं	अनुदान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्षों की संख्या	बजट 2019-20	कुल बजट (पाँच वर्ष)
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	68	66	65	58	46	1	32.78	135.95
2	13-कृषि	74	85	83	90	33	1	4707.16	14962.75
3	25-खनिज संसाधन विभाग	71	89	57	32	12	2	725.60	10436.17
4	40-आयाकट विभाग	54	64	39	05	03	3	121.89	492.60
5	43-खेल एवं युवा कल्याण	35	24	27	20	25	5	53.38	408.67
6	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	48	62	36	35	34	4	22 ^प 10	111 ^प 09
7	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	69	88	83	43	49	2	14 ^प 44	69 ^प 03
8	65- विमानन विभाग	97	52	46	52	35	2	120 ^प 94	420 ^प 23
9	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	90	85	45	48	40	3	132 ^प 27	1017 ^प 77
10	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरिय कल्याण	29	64	83	71	33	2	1162 ^प 83	2223 ^प 59
11	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	71	98	74	66	29	1	700 ^प 00	2901 ^प 02

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कुल 11 अनुदानों/विनियोजनों में बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था, जो प्रणालीगत कमीयों का द्योतक है जिसके लिये शासन द्वारा शीघ्र सुधारात्मक उपायों की शुरुआत करने हेतु एक सूक्ष्म समीक्षा की आवश्यकता है।

कुछ विभागों द्वारा मांगे गए और प्राप्त बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से अधिक थे। इसके अलावा, बजट प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। इससे आगे की सीमा, उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) में इस तरह के बदलाव को विनियोग लेखे में समझाया जाना है, जो लोकलेखा समिति (पीएसी) द्वारा निर्धारित किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है (अतिरिक्त/बचत)

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:


- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के

लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- 2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (शुल्क) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।
- 3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:
 - ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएंगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।
- 4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (प्रभारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

2019-20 के विनियोग लेख के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 52.61 प्रतिशत मामलों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3161 उप-शीर्षों में से 1498 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है, हालाँकि 1663 उप-शीर्षों के उचित कारणों को सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, **चार्ट 3.4** में दिए गए हैं।

चार्ट-3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है,

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य शासन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा नियमित रूप से अनुदान/विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹6,682.69 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹6,678.35 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक

अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण निचे तालिका 3.8 में दिया गया।

तालिका 3.8: 2019-20 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	8,876.45	9,459.04	582.59
आदिवासी कल्याण	33	आदिवासी कल्याण	4,073.21	4,133.44	60.23
उच्च शिक्षा	44	उच्च शिक्षा	742.56	745.41	2.85
राजस्व भारित					
ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4,865.24	5,113.33	248.09
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.11	0.46	0.35
महिला एवं बाल कल्याण	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.05	0.05
पूँजीगत भारित					
लोक ऋण	.	लोक ऋण	2,906.50	8,695.03	5,788.53
कुल					6,682.69

स्रोत : विनियोग लेखे

वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लिए प्रावधानों पर ₹3,261.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण निम्न में दर्शाया गया।

तालिका 3.9: वर्ष 2000-01 से 2018-19 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2000-01	11	2	10.21
2001-02	14	2	115.90
2002-03	8	2	114.59
2003-04	4	2	591.12
2004-05	4	5	133.36
2005-06	4	2	23.27
2006-07	4	1	5.13
2007-08	3	3	15.99
2008-09	9	1	115.26
2009-10	10	5	216.77
2010-11	22	6	293.78
2011-12	24	1	498.09
2012-13	2	2	0.96
2013-14	3	3	178.96
2014-15	4	2	833.54
2015-16	3	2	98.24
2016-17	2	3	12.38
2017-18	3	3	2.61
2018-19	2	4	1.67
कुल	136	51	3,261.83

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1.67 करोड़ विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय किया गया था। हालाँकि, विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों में 14 अनुदानों के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹7,893.69 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान अतिरिक्त व्यय को **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ₹221.39 करोड़ के कुल व्यय में से अनुदान संख्या-71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी के तहत, मार्च 2020 के दौरान ₹114.99 करोड़ (52 प्रतिशत) व्यय किया गया है। इसके अलावा ₹771.64 करोड़ का व्यय माह मार्च 2020 में संबंधित शीर्षों के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मुख्य शीर्ष थे। विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.10** में दिए गए हैं।

तालिका 3.10: व्यय की अतिवेग

(₹करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च माह में कुल व्यय	योजना के कुल व्यय में से माह मार्च में किये गये व्ययों का प्रतिशत
4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.33	8.51	8.90	4.81	54.06
4801	ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	64.04	0.00	78.05	142.09	78.05	54.93
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.66	0.88	1.86	23.78	27.17	15.20	55.94
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	236.19	0.00	320.45	556.64	320.45	57.57
4415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.45	2.50	15.10	26.05	15.10	57.98
6408	खाद्य, भंडारण एवं भण्डागार के लिये कर्ज	0.00	2.50	0.00	8.39	10.89	8.39	77.04
2853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	11.16	8.59	11.00	136.01	166.77	129.64	77.74
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	200.00	80.00
	कुल	11.82	320.67	65.69	790.29	1188.51	771.64	64.92

स्रोत: विनियोग लेखे और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना

3.6.1 उप-शीर्ष (योजनाएं) जहाँ मार्च 2020 में पूरा व्यय किया गया था

कुल 107 योजना शीर्षों में, पूरा व्यय वर्ष के अंतराल पर किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है। वर्ष के अंत पर व्यय का उच्च प्रतिशत इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है, को बनाए नहीं रखा गया था। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरणों को, जहाँ ₹10 करोड़ या इससे अधिक्य की पूर्ण योजना व्यय मार्च 2020 में किया गया, **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: माह मार्च 2020 में ₹10 करोड़ या उससे अधिक की योजना व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	माह मार्च में किये गये समस्त व्यय
17-2425-107-101-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	92.13
41-5275-101-102-7861-संचार क्रांति योजना	76.00
41-2425-107-102-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	70.02
80-2853-800-101-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	69.86
CH II-2049-101-6403-7.28 प्रतिशत-राज्य विकास ऋण 2027	36.40
15-2853-800-103-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	34.27
41-4515-102-702-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	27.00
19-2210-200-101-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	25.00
64-5275-101-103-7861-संचार क्रांति योजना	24.00
82-2853-800-102-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	23.59
64-2425-107-103-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	22.11
41-2210-200-102-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	19.00
30-4515-102-701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	18.00
12-4810-101-101-7897-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना	16.56
19-2210-200-101-6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	10.00

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी

3.7 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2019-20 के दौरान, अनुदान संख्या 13-कृषि को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा आगामी पैरा में की गई है।

3.7.1 अनुदान संख्या 13-कृषि

कृषि विभाग, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। विभाग की नीतियां मुख्य रूप से कृषि निदेशालय के कार्यालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य प्रायोजित कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में लागू की जाती है। नौ मुख्य शीर्षों 2401-फसल-कृषि कर्म, 2402-भूमि और जल संरक्षण, 2702-लघु सिंचाई, 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 4401-फसल-कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय और 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय इस अनुदान के अंतर्गत संचालित है।

3.7.2 बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों की अवधि 2017-20 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.12: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या - 13	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बजट प्रावधान	2,325.63	5,637.10	4,707.16
व्यय	1,935.22	5,077.35	1,568.26
ब्यत	390.41	559.75	3,138.90
बचत (प्रतिशत)	16.79	9.93	66.68
राजस्व प्रावधान	2,320.04	5,629.92	4,693.33
व्यय	1,932.92	5,075.76	1,561.57
ब्यत	387.12	554.16	3,131.77
बचत (प्रतिशत)	16.69	9.84	66.73
पूँजीगत प्रावधान	5.59	8.08	13.83
व्यय	2.30	1.59	6.70
ब्यत	3.29	6.49	7.13
बचत (प्रतिशत)	58.86	80.32	51.55

स्रोत : विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 9.93 से 66.68 प्रतिशत तक के बीच थी। सतत बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आकलन का संकेत है और इसके लिये विभाग की बजट तैयारी की समीक्षा की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चला है कि बजट आबंटन पिछले वर्षों की व्यय प्रवृत्ति पर विचार किए बिना, किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सतत बचत हुई।

3.7.3 बचत का समर्पण

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुसार, एक नियंत्रण अधिकारी को एक अनुदान के तहत प्रत्याशाओं का आकलन करना चाहिए और उन्हें प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पूर्व वित्त विभाग को सूचित करना चाहिए। तालिका 3.12 से यह स्पष्ट है की वर्ष 2019-20 में कुल बजट प्रावधान ₹4,707.16 करोड़ में से ₹3,138.90 करोड़ की बचत हुई, लेकिन विभाग द्वारा बचत का कोई भी हिस्सा वित्तीय वर्ष के अन्त तक समर्पण नहीं किया गया था। बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समय पर बचत न करने के कारण, निधि का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

3.7.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान और योजनाओं के अंतर्गत समर्पण

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनियमित अनुपूरक प्रावधान के पश्चात समर्पण देखा गया, जैसा की तालिका 3.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

योजना शीर्ष	योजना का नाम	मुल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	कुल व्यय	समर्पण
6366	कृषक सहायता	निरंक	1.00	1.00	निरंक	1.00
7713	जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत सोसायटी की स्थापना	निरंक	1.00	1.00	निरंक	1.00
	कुल	निरंक	2.00	2.00	निरंक	2.00

स्रोत : विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, योजना शीर्ष 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में, यह देखा गया की यद्यपि ₹2,500 करोड़ के मूल अनुदान में से ₹187.52 करोड़ का कुल व्यय किया गया, तथापि ₹575.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, जिससे ₹2,887.97 करोड़ समर्पण हुआ जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

योजना शीर्ष	योजना का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	समर्पण	(₹ करोड़ में)
						कुल व्यय
8972	धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2500.00	575.50	3075.50	2887.97	187.52

स्रोत : विनियोग लेखे

वास्तविक व्यय (₹187.52 करोड़) मूल प्रावधान (₹2,500 करोड़) से कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹575.50 करोड़) अनावश्यक साबित हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹2,887.97 करोड़ का समर्पण हुआ।

3.7.5 योजना शीर्षों के अंतर्गत सतत् बचत

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुच्छेद 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान भी बहुत अधिक हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें विगत तीन वर्षों से संबंधित अनुमान और वास्तविक के अंतर का परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी के आधार पर होनी चाहिए।

वर्ष 2017–20 के दौरान पाँच योजना शीर्षों में सतत् बचत हुई।

तालिका 3.15: सतत् बचत योजना शीर्षों के तहत

योजना	2017–18			2018–19			2019–20		
	प्रावधान	बचत	बचत	प्रावधान	बचत	बचत	प्रावधान	बचत	बचत
	₹ करोड़ में		प्रतिशत	₹ करोड़ में		प्रतिशत	₹ करोड़ में		प्रतिशत
7853— नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	131.00	131.00	100	93.00	93.00	100	6.20	6.20	100
7661—एन.एम.ई.टी. सबमिशन ऑन प्लॉट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाईन योजना	0.50	0.50	100	0.50	0.50	100	0.20	0.20	100
7268—एन.एम.एस.ए क्लाइमेट चेन्ज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मोडलिंग एवं नेटवर्किंग	0.29	0.29	100	0.81	0.81	100	0.81	0.81	100
6929—सहायक यंत्री का कार्यालय	0.10	0.10	100	0.10	0.10	100	0.10	0.10	100
7766— कृषी संबंधित योजना का तृतीय पक्ष की मूल्यांकन	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100

स्रोत : विनियोग लेखे

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017–20 के दौरान उपरोक्त योजना शीर्षों के अंतर्गत 100 प्रतिशत की सतत् बचत यह इंगित करती है कि विभाग में बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत की सीमा तक निधि की आवश्यकता ही नहीं थी।

कृषि विभाग के निदेशक (दिसम्बर 2020) ने स्पष्ट किया कि बजट प्रावधानों का विभिन्न कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका है, जैसे कि शासन से मंजूरी न मिलना, शासन द्वारा पूँजीगत व्यय का अनुमोदन न करना, प्रक्रिया में देरी के कारण निधि का अनुपयोग होना आदि।

3.7.6 वर्ष 2019–20 के दौरान सम्पूर्ण बजट प्रावधान की बचत

वर्ष 2019–20 के दौरान इन योजनाओं में सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोगी रहना यह दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और आकलन में योजना की आवश्यकता अवास्तविक थी। सम्पूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: बजट प्रावधान का गैर-उपयोग

योजना शिर्ष	योजना का नाम	बचत/समर्पण (₹ करोड़ में)
7283	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	5.00
7768	जैविक प्रमाणीकरण संस्था	0.60
7268	एन.एम.एस.ए.क्लाईमेट चन्ज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	0.46
7945	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	2.50
7831	कृषि जलवायु क्षेत्रों के सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान का विकास	0.15
7766	कृषि संबंधित योजना का तृतीय पक्ष की मूल्यांकन	0.05
7676	संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	0.50
7837	उद्यानिकी फसलों को बेसलाईन सर्वे	1.20
7968	जैविक खाद का उत्पादन प्रत्साहन (जिवामृत)योजना	0.05
7969	औषधीय तथा सुगन्धित फसलों का क्षेत्र विस्तार योजना	0.32
7853	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	5.00
2981	बीज संवर्धन और वितरण	1.00
7661	एन.एम.ई.टी. सबमिशन ऑन प्लॉट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाईन योजना	0.20
6929	सहायक यंत्री कार्यालय	0.10
6788	संचलनालय उद्यानिकी	0.06
7970	प्लग टाईप युनिट की स्थापना	2.00
4288	संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला)	1.00
7713	जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत सोसायटी की स्थापना	1.00
	योग	21.37

स्रोत : विनियोग लेखे

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2020) कि राशि का अनुपयोग मुख्य रूप से विभिन्न कारणों से था जैसे कि अनुदान को शासन द्वारा निधि जारी नहीं करना, योजना के दिशानिर्देशों की अनुपलब्धता, आकस्मिक दावों की अनुपलब्धता, राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त न करना।

3.8 निष्कर्ष

राज्य शासन की बजटीय अनुमान 2019–20 के दौरान वास्तविक नहीं थी और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त थी। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2019–20 के दौरान चार अनुदान और दो विनियोजन से संबंधित ₹6,682.69 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लियें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। नियंत्रण अधिकारियों ने समय पर धनराशि का समर्पण नहीं किया। व्यय के आधार पर आवंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

बचत से बचने के लिये सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से जहाँ सतत बचत होती रही और अनुपूरक अनुदान लेने से बचने के लिये जो अनुपयोगी रहे ।

3.9 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को विभागों की आवश्यकताओं की विश्वसनीय मान्यताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- ii. शासन द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत पर अंकुश लगाया जा सकता है, अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पण किया जाता है।
- iii. बजट के समुचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखों की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए आबंटन से व्यय में भिन्नता समझाने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।